कायालय–जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण
(प्रशासनिक शाखा)
Email-Id- Deosaran.edn@gmail.com
Mobile-no- +918544411907

पत्रांक......................

सेवा में,

प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक
यादव क्षत्रिय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय
खोदाईबाग, नगरा, सारण।

छपरा, दिनांक 2026

विषयः– स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, प्रधान दंडाधिकारी / सदस्य किशोर न्याय परिषद, सारण, छपरा द्वारा अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा जे0जे0बी0 नं0 527 / 2025 खैरा थाना कांड सं0 460 / 23 के कथित किशोर रवि किशन राम पिता– छठू लाल राम सा0– शाहपुर थाना– खैरा जिला– सारण के उम्र के समर्थन में दाखिल प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु बोर्ड के पत्रांक 1285 दिनांक 06.06.2025 स्मार पत्रांक 518 दिनांक 22.04.2026 द्वारा निदेशित किये जाने के बावजूद आपके द्वारा प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस तरह बोर्ड के आदेश का आपके द्वारा बार–बार उल्लंघन किया गया है।

आपके विरूद्ध प्रथम दृष्टया सरकारी कार्यों में लापरवाही, उदासीनता, अपने दायित्वों के प्रति जवाबदेह नहीं रहना, विभागीय निदेश के अनुरूप कार्य नहीं करना, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन तथा स्वेच्छाचारिता का आरोप प्रमाणित होता है।

अतः निदेश है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर उक्त आरोपों के संदर्भ में साक्ष्य सहित अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी स्पष्ट करे कि क्यों नहीं उक्त आरोपों के आधार पर आपके निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन कर दिया जाय। तत्काल आपका वेतन भुगतान स्थगित किया जाता है।

विश्वासभाजन
ह0 / –
जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1662 छपरा, दिनांक 13.08.2026

प्रतिलिपिः– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना –सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / कोषागार पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिसद, सारण, छपरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण, छपरा